कारी अ अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री महेन्द्र सिंह चौहान एड़	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
13.9.2022	काना वगैरह वनाम सांवरमल वगैरह पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन पेश हुई । अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय वादीगण/अपीलांटस द्वारा एक नियमित राजस्व वाद वास्ते बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके सलंग्न प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात ग्राम उदयपुरकलां तहसील किशनगए में अवस्थित खाता संख्या नया 485 के खसरा नम्बर 141 क्षेत्रफल 2.0630 है0 भूमि पर जमावंदी में अंकित अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काविज काश्त चले आ रहे है। विवादित आराजीयात का आज दिनांक तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 01से 06 विना विवादित आराज़ीयात का विधिवत बंटवारा कराये मौके पर अपने हिस्से से अधिक आराजीयात पर निर्माण कार्य करने पर सख्त आमादा है इसलिए रेस्पोडेन्टस को ताफैसला मूल वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिसटर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी करने का आदेश दिनांक 30.08.2022 को प्रदान कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांटस मान्नीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर किसी प्रकार अन्तरिम स्थगन आदेश पारित नहीं किये है जिसकी आड़ में अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात पर विना बंटवारा कराये हिस्से से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य कर भूमि की शक्ल परिवर्तित करने पर आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गए तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील अप्रार्थीगण को पावंद किया जावें कि वे वादग्रस्त आराजीयात पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर है कि उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.08.2022में केवल यह अंकित किया गया कि प्रार्थना–पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 15.09.2022 को पेश हों। अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तरिम स्थगन दिये जाने व नही दिये जाने बाबत् किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्राथमिक स्तर पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नियत है किन्तु प्रार्थीगण/अपीलांट के अनुसार	

कान्ना V/s सांवरमल

2641/2022/225 RT

11/11/22	अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस विवादित आराजी पर निर्माण कार्य कर रहे है इसलिए प्रकरण के विचाराधीन रहते वाद की बाहुल्यता नहीं बढ़े इसलिए प्रकरण को शीघ्र से शीघ्र निस्तारण करने हेतु प्रकरण अधीनरथ न्यायालय को भिजवाया जाना उचित होगा तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को अंतिम निस्तारण तो अधीनरथ न्यायालय को ही करना हैं। न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक मितव्ययता को मध्यनजर रखते हुए हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनरथ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम (अरथायी निषेधाज्ञा) में अप्रार्थीगण की शीघ्र तलबी पूर्ण कर, उभयपक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस आदेश से 30 दिवस में करें। **अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम (अरथायी निषेधाज्ञा) में अप्रार्थीगण की शीघ्र तलबी पूर्ण कर, उभयपक्षकारान को जवाब/ सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में आवश्यक रूप से निस्तारित करें। आदेश की एक प्रति अधीनरथ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** (हस्ताक्षर)	